

Notice for customers holding accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Scheme

Please note that the **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)** is a flagship scheme of the Government, implemented by the Department of Financial Services (DFS). There is no provision of disbursement of loans under this scheme from the Government / Department.

Please do not respond to any advertisement from any individual / entities promising disbursement of loans under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Scheme.

For any loan requirement, we request you to approach your Bank.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खाते रखने वाले लोगों के लिये सूचना

कृपया ध्यान दें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। सरकार/विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कृपया प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत ऋण जारी करने का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन को कोई जवाब न दें।

ऋण की कोई भी आवश्यकता होने पर, हम आपसे अपने बैंक से संपर्क करने का निवेदन करते हैं।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) ক্ষেত্রে অধীনে অ্যাকাউন্ট ধারক গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) হল সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ ক্ষেত্র, যা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) দ্বারা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। সরকার / বিভাগ থেকে এই প্রকল্পের অধীনে লোন বিতরণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

অনুগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) ক্ষেত্রে অধীনে লোন প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয় এইরকম কোনও ব্যক্তির / সত্ত্বার কোনও বিজ্ঞাপনে সাড়া দেবেন না।

যে কোনো ধরনের লোনের প্রয়োজনে, আমরা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।